संख्या-199/2026/323/69-1-2026-1830499

प्रेषक,

लाल मणि यादव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। **लखनऊ : दिनांक 27 मई, 2026**

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में मूलभूत नगरीय सुविधाएँ एवं आवास (एस0सी0एस0पी0) योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 से जनपद-महराजगंज, सीतापुर, बस्ती, वाराणसी एवं सिद्धार्थनगर की कुल 10 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4646/76/एक/एमएएमबीवीवाई/(द्वि0कि0)/2018-19, दिनांक 30.01.2026, पत्र संख्या-4715/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2020-21-वैल्यूम-1 दिनॉक 04.02.26, पत्र संख्या-5530/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2020-21, दिनांक 13.03.2026, पत्र संख्या-5631/10/छः/विविध/(द्वि0कि0)/2019-20-वाराणसी, दिनांक 19.03.2026, पत्र संख्या-5831/10/छः/विविध/(द्वि0कि0)/2025-26, दिनांक 26.03.2026 एवं पत्र संख्या-4718/10/छः/विविध/(द्वि0कि0)/2020-21-वैल्यूम-1, दिनांक 04.02.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"मूलभूत नगरीय सुविधाएँ एवं आवास (एस0सी0एस0पी0)" योजनान्तर्गत क्रमंशः** वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 29.03.2025 द्वारा जनपद-महराजगंज के मलिन बस्ती से सम्बन्धित 01 परियोजना हेतु रू0 12.540 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 6.270 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त 01 परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि **रू0 6.140 लाख (रूपये छः लाख चौदह हजार मात्र),** वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 07.01.2025 द्वारा जनपद-सीतापुर के मलिन बस्ती से सम्बन्धित 01 परियोजना हेतु रू0 22.840 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 11.420 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त 01 परियोजना के

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट **https://shasanadesh.up.gov.in** से सत्यापित की जा सकती है।

अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि **रू0 11.270 लाख (रूपये ग्यारह लाख सत्ताईस हजार मात्र)**, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 07.01.2025 द्वारा जनपद-बस्ती के मलिन बस्ती से सम्बन्धित 04 परियोजना हेतु रू0 132.400 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 66.200 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त 04 परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि **रू0 66.0013 लाख (रूपये छाछठ लाख एक सौ तीस मात्र)**, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 28.03.2025 द्वारा जनपद-वाराणसी के मलिन बस्ती से सम्बन्धित 02 परियोजना हेतु रू0 124.71 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 62.355 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त 02 परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि **रू0 61.705 लाख (रूपये इक्सठ लाख सत्तर हजार पॉच सौ मात्र)**, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 29.03.2025 द्वारा जनपद-सिद्धार्थनगर के मलिन बस्ती से सम्बन्धित 01 परियोजना हेतु रू0 13.820 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 6.910 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त 01 परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि **रू0 6.880 लाख (रूपये छः लाख अठ्ठासी हजार मात्र) एवं** वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 11.03.2023 द्वारा जनपद-सीतापुर के मलिन बस्ती से सम्बन्धित 01 परियोजना हेतु रू0 23.070 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रू0 11.535 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त 01 परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि **रू0 9.665 लाख (रूपये नौ लाख छाछठ हजार पॉच सौ मात्र)** अर्थात उक्त जनपदों की कुल 10 परियोजनाओं हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में **कुल रू. 161.6613 लाख (रूपये एक करोड़ इकसठ लाख छाछठ हजार एक सौ तीस मात्र)** की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट **https://shasanadesh.up.gov.in** से सत्यापित की जा सकती है।

क्र. सं.	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम/ कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत	सेन्टेज सहित निविदा की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि	द्वितीय/ अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि। (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	महराजगंज	न0पं0 आनन्द नगर	वार्ड नं 01 अम्बेडकर नगर में श्री शिवप्रसाद के घर से रामसजीवन के घर तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली निर्माण।	12.540	12.41	6.270	6.140
			योग	**12.540**	**12.41**	**6.270**	**6.140**
1	सीतापुर	न0पा0प0 सीतापुर	मो0 परेड में गन्ना समिति जेल रोड रेलवे क्रासिंग से महेश ठेकेदार के मकान तक आलोक श्रीवास्तव पुत्र श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली निर्माण कार्य।	22.840	22.690	11.420	11.270
			योग	**22.840**	**22.690**	**11.420**	**11.270**
1	बस्ती	न0पं0 बनकटी	वार्ड नं0 02 चन्द्र नगर मो० मथौली में दलित बस्ती में सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य (नीरज गौतम के घर से फूलचन्द्र के घर होते हुये सतिराम के घर के रास्ते गोरखनाथ के घर होते हुये समय माता के स्थान तक सीसी रोड एवं नाली का कार्य।	44.930	44.8626	22.465	22.3976
2	बस्ती	न0पं0 नगर बाजार	वार्ड नं0 02 संत रविदास नगर में निराला सहज जन सेवा केन्द्र से डा0 के दुकान होते हुये बाजार तक सीसी रोड निर्माण कार्य।	30.810	30.7638	15.405	15.3588
3	बस्ती	न0पं0 कप्तानगंज	वार्ड नं0 01 अम्बेडकर नगर के गौरा में अमन के घर से राकेश के	10.810	10.7937	5.405	5.3887

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट **https://shasanadesh.up.gov.in** से सत्यापित की जा सकती है।

			घर तक इन्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।				
4	बस्ती	न0पं0 बनकटी	वार्ड नं0 01 अम्बेडकर नगर मो० बासापार में दलित बस्ती में सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य (बासापार कैथौरा मेन रोड से माता प्रसाद के घर होते हुये बौडिहवा तालाब मार्ग तक)	45.850	45.7812	22.925	22.8562
			योग	**132.400**	**132.2013**	**66.200**	**66.0013**
1	वाराणसी	न0नि0 वाराणसी	लोढ़ान दानपुर गिरधारी गौड के घर से एच0सी0पी0 स्कूल तक सड़क निर्माण कार्य।	58.32	58.020	29.160	28.86
2	वाराणसी	न0नि0 वाराणसी	कोटवा गोविन्द भगत के मकान से लेकर विष्णु पाल के मकान से होते हुए श्यामू पाल के मकान तक सडक निर्माण कार्य।	66.39	66.040	33.195	32.845
			योग	**124.71**	**124.060**	**62.355**	**61.705**
1	सिद्धार्थनगर	न0पं0 कपिलवस्तु	वार्ड नं 09 में विन्दा की जमीन से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	13.820	13.790	6.910	6.880
			योग	**13.820**	**13.790**	**6.910**	**6.880**
1	सीतापुर	न0पा0प0 सीतापुर	मो0 ईस्माईलपुर पश्चिमी में आशाराम के मकान से रजनीश पंकज व पुरूषोत्तम शुक्ला के घर से होते हुए प्रखर दीक्षित के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	23.070	21.20	11.535	9.665
			योग	**23.070**	**21.20**	**11.535**	**9.665**

कुल रू. 161.6613 लाख (रूपये एक करोड़ इकसठ लाख छाछठ हजार एक सौ तीस मात्र)

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/69-1-17-14(31)2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्ण रूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियॉं, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. सूडा/डूडा द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जायेगा और स्वीकृत धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

16. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2027 तक व्यय हो सके।

18. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

19. प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा का होगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) लेखा शीर्षक** 2217047890300 **मूलभूत नगरीय सुविधाएँ एवं आवास (एस0सी0एस0पी0) योजनान्तर्गत** मानक **मद 20** सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लाल मणि यादव)
उपसचिव।

संख्या एवं दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, प्रयागराज।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण महराजगंज, सीतापुर, बस्ती, वाराणसी, सिद्धार्थनगर, जनपद-सीतापुर।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट **https://shasanadesh.up.gov.in** से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.gov.in

7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
12. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

(लाल मणि यादव)
उप सचिव।

http//shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट **https://shasanadesh.up.gov.in** से सत्यापित की जा सकती है।